हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, कपटपूर्ण, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध।
4. धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड।
5. धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य से किए गए विवाह का अकृत एवं शून्य होना।
6. न्यायालय, जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी।
7. धर्म परिवर्तन से पूर्व की उद्घोषणा और शुद्धता संस्कार के सम्बन्ध में पूर्व रिपोर्ट।
8. अभियोजन का पूर्व मंजूरी से प्रारम्भ किया जाना।
9. किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड।
10. दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध।
11. अपराध के पक्षकार।
12. सबूत का भार।
13. अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना।
14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
15. नियम बनाने की शक्ति।
16. निरसन और व्यावृत्तियां।

———————————

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 13)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 29 अक्तूबर, 2019 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 06 नवम्बर, 2019 को पृष्ठ संख्या 7635 से 7644 पर प्रकाशित किया गया)

धर्म की स्वतन्त्रता को मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करने और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि पुनः अधिनियमित करने हेतु अधिनियम।

———————————

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित उद्देशयों और कारणों के विवरण के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 31 अगस्त, 2019 पृष्ठ संख्या 5399, 5400 और 5405 देखें।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष मे ंहिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्रपीड़न" से, मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल के प्रयोग द्वारा किसी व्यष्टि की इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई करने को बाध्य करके शारीरिक क्षति कारित करना या उसको धमकी देना अभिप्रेत है;

(ख) "धर्म परिवर्तन" से, किसी एक धर्म को छोड़ना और किसी अन्य धर्म को अपनाना अभिप्रेत है;

(ग) "कपटपूर्ण" के अन्तर्गत किसी प्रकार का मिथ्या निरूपण या कोई अन्य कपटपूर्ण रीति है;

(घ) "बल" के अन्तर्गत बल का प्रदर्शन या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी देना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए राजी कराना या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति सहित दैवीय भाजन या समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देना भी है;

(ङ) "सरकार या राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) "उत्प्रेरणा" से, और इसके अन्तर्गत किसी उपहार या परितोषण या भौतिक प्रसुविधा, चाहे नकद में या वस्तु के रूप में या नियोजन, किसी धार्मिक संस्था द्वारा चलाए जा रहे ख्याति–प्राप्त विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, सुलभ धन, बेहतर जीवन शैली, दैवीय कृपा या अन्यथा के रूप मे ंकिसी प्रलोभन का प्रस्ताव भी अभिप्रेत है;

(छ) "अव्यस्क" से, अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "धर्म" से, भारत में या इसके किसी भाग में यथा विद्यमान आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या रूढ़ि के अन्तर्गत कोई संगठित पद्धति अभिप्रेत है;

(ञ) "धार्मिक पुजारी" से, किसी धर्म का पुजारी अभिप्रेत है, जो संस्कार विशुद्धि या किसी धर्म के परिवर्तन समारोह को संपादित करता है, चाहे किसी भी नाम जैसे पुजारी, पण्डित, मुल्ला, मौलवी, फादर आदि से जाना जाए; और

(ट) "असम्यक् असर" से, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति के अन्तःकरण के विरुद्ध प्रयोग द्वारा या ऐसे दूसरे पर किसी व्यक्ति की इच्छानुसार कार्रवाई करने के लिए अन्य व्यक्ति के प्रभाव में लेने के आशय से ऐसे प्रभाव का प्रयोग करना अभिप्रेत है।

3. **मिथ्या निरूपण, बलपर्वूक, कपटपूर्ण, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या विवाह द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन का प्रतिशेध.**—कोई व्यक्ति मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग द्वारा या किसी कपटपूर्ण माध्यम द्वारा या विवाह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अन्यथा एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तित करने या परिवर्तित करवाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाएगा या उसका षडयन्त्र करेगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापस आता है तो इस अधिनियम के अधीन यह धर्म परिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

4. **धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड.**—जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगाः

परन्तु जो कोई अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।

5. **धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य से किए गए विवाह का अकृत एवं शून्य होना.**—कोई विवाह जो किसी एक धर्म के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ, चाहे वह विवाह—पूर्व या पश्चात् स्वयं के धर्म परिवर्तन द्वारा या विवाह—पूर्व या पश्चात् अन्य व्यक्ति के धर्म परिवर्तन द्वारा, धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है, तो विवाह के किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अकृत और शून्य घोषित किया जा सकेगा।

6. **न्यायालय, जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी.**—धारा 5 के अधीन प्रत्येक याचिका कुटुम्ब न्यायालय या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नहीं है, वहां जिस न्यायालय की साधारण मूल सिविल अधिकारिता हो, उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जहां,—

(i) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था; या

(ii) प्रत्यर्थी याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय निवास करता है; या

(iii) विवाह के पक्षकारों ने अन्तिम बार निवास किया था; या

(iv) याची होने की दशा में पत्नी, जहां वह याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है।

7. **धर्म परिवर्तन से पूर्व की उद्घोषणा और शुद्धता सस्कार के सम्बन्ध में पूर्व रिपोर्ट.**—(1) कोई व्यक्ति, जो अन्य धर्म में परिवर्तित होने की वांछा रखता है, तो वह कम से कम एक मास पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, अपने आशय की उद्घोषणा करेगा कि वह स्वेच्छा से या स्वतंत्र सम्मति से तथा बल, प्रपीड़न, असम्यक् असर, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना अपना धर्म परिवर्तित कर रहा हैः

परन्तु कोई व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में वापस आता है तो कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।

(2) धार्मिक पुजारी, जो किसी व्यक्ति को एक धर्म से अन्य धर्म मे ंपरिवर्तन के लिए शुद्धता संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करता है तो वह ऐसे संस्कार या धर्म परिवर्तन समारोह की अग्रिम सूचना, ऐसे आरूप में, जैसा विहित किया जाए, जिला मजिस्ट्रेट या जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को, जहां ऐसा समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, एक मास पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बन्ध में पुलिस या ऐसे अभिकरण, जैसा यह उचित समझे, के माध्यम से जांच संचालित करेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में उक्त धर्म परिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य होगा।

(5) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत करने का भी दायी होगा।

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना संदत्त करने का भी दायी होगा।

8. **अभियोजन का पूर्व मंजूरी से प्रारंभ किया जाना.**— धारा 7 के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति द्वारा, अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उप–मण्डल मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व मंजूरी से या के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा।

9. **किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड.**—यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करता है तो, यथास्थिति, संगठन या संस्था के मामलों के प्रभारी व्यक्ति धारा 4 के अधीन यथा उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा/होंगे तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा।

10. **दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध.**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन को देश के भीतर या बाहर से किसी प्रकार के दान या अंशदान को स्वीकार करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. **अपराध के पक्षकार.**—इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध कारित किया जाता है तो,—

(i) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने वास्तव में ऐसा कृत्य किया है जिससे अपराध होता है;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में समर्थ बनाने या सहायता करने के लिए ऐसा कृत्य करता है या करने की चूक करता है;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है; और

(iv) कोई व्यक्ति, जो अपराध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है या अपराध कारित करवाता है;

उसे ऐसे अपराध कारित करने में भाग लेने वाला और अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा ऐसे आरोपित किया जाएगा मानो कि उसने अपराध किया है।

12. **सबूत का भार.**—कोई धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है, तो इस तथ्य के सबूत का भार इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर होगा तथा जहां ऐसा धर्म परिवर्तन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुकर किया गया है तो वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

13. **अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

14. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी किए जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

15. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. **निरसन और व्यावृत्तियां**.—(1) हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2006 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।